



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/APO/स्था-पद/2018/पार्ट-3/1963 जयपुर दिनांक:-18-12-2020

**—:आदेश:—**

विभागीय आदेश क्रमांक 1936 दिनांक 16.12.2020 द्वारा श्री महेश कुमार चौहान को आदेशों की प्रतीक्षा में करने सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर यथावत पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश में पंचायती समिति लाडनूँ जिला नागौर से आसपुर जिला डूंगरपुर स्थानान्तरणाधीन श्री हरफूल सिंह चौधरी के सम्बन्ध में कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये थे परन्तु उक्त आदेश दिनांक 16.12.2020 के क्रियान्वयन से श्री हरफूल सिंह प्रतिक्रियात्मक रूप से आदेशों की प्रतीक्षा में हो गये हैं।

अतः श्री हरफूल सिंह चौधरी, विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडनूँ जिला नागौर से विकास अधिकारी पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर स्थानान्तरणाधीन को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति अविलम्ब विभागीय मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंसा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (एल.टी.), मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, अजमेर/उदयपुर।
7. जिला कलक्टर, नागौर/डूंगरपुर।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर/डूंगरपुर।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडनूँ(नागौर)/आसपुर(डूंगरपुर)।
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
11. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)